

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल
-आदेश-

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2022

क्रमांक एफ- 3881 /2022/1-59 :: राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों की शिक्षण सत्र-2022-23 की प्रवेश मान्यता हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के दृष्टिगत प्रशासनिक आधार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ-3815/2022/1/59, दिनांक 02 नवम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-4 में दर्शाये गये पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप आगामी आदेश तक प्रदस्थ किया जाता है:-

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं विषय	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान
1	डॉ० जयपाल सिंह (एम.डी. शारीर क्रिया)	शास. आयु. औष., महतवाड़ा, जिला, खरगोन.	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर से पदस्थापना संशोधित करते हुए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा
2	डॉ० प्रदीप सोनी (एम.डी. शारीर रचना)	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर
3	डॉ० सुनील पाटीदार (एम.एस. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा से पदस्थापना संशोधित करते हुए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेश रामी)
उप सचिव
आयुष विभाग

भोपाल दिनांक 9 नवम्बर 2022

पृ०क० एफ. - 3881/2022/1/59
प्रतिलिपि:-

- 1- अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली।
- 2- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी, आयुष विभाग भोपाल।
- 3- आयुक्त संचालनालय आयुष भोपाल।
- 4- निज़ सहायक, प्रमुख सचिव आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 5- प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय..... म०प्र० की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को वेतन महाविद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किया जाये।
- 6- संभागीय आयुष अधिकारी संभाग म०प्र०।
- 7- जिला आयुष अधिकारी, जिला म०प्र० की ओर संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को कार्यमुक्त करने हेतु।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, जिला म०प्र०
- 9- संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी म०प्र०।
- 10- आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
आयुष विभाग